प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत मे इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

> राज्य द्वारा एडीपीओ उप0। आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री रामवीर बघेल

फरियादी सुरेश उप0। प्रकरण राजीनामा आवेदन पर आदेश हेत् नियत

है। प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि प्रकरण में आरोपीगण राजेन्द्र, प्रीतम, लालसिंह एवं देवीराम के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं। राजीनामा पूर्व में तस्दीक किया जा चुका है। फरियादी ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा लोकहित में है अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपीगण राजेन्द्र, प्रीतम, लालसिंह एवं देवीराम को भा०द०सं० की धारा २९४, ३२३ एवं ५०६ भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

प्रकरण मे जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार

भेजा जावे। खण्डपीठ सदस्य. कृ.1-

उप0।

क.2-

(प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी ार्वार खण्डपीट खण्डपीठ क०२१ गोहद